न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/150/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/453

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री रामचरणलाल पुत्र श्री सुंदरलाल, नि0 मौहल्ला, शिवपुरा, रत्ती का कुआं, आनन्द फ्लोर मिल, अलवर।		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

प्रवेश तिथि :: 13.10.2022

अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 19.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन–पत्र दिनांकः 08.07.2022 के माध्यम से आ.ख.नं. 937, गै.मु. आबादी वाके ग्राम–लोहरवाडी, तह. रामगढ, जिला–अलवर के नगर विकास न्यास, अलवर के नाम दर्ज होने संबंधी आदेश, अवाप्ति, मुआवजा संबंधी बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 10.10.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को **द्वितीय अपील** प्रस्तुत की गई।
5. अपील का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील, उक्त अधिनियम अंतर्गत **द्वितीय अपील के रूप में** इस न्यायालय को प्रस्तुत की गई है जिस पर सुनवाई का **क्षेत्राधिकार** केवल माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर को ही है।
6. इस न्यायालय में प्रश्नगत अपील सहवन से दर्ज की गई है। अतः उक्त अपील कार्यवाही इसी स्तर पर **ड्राप** की जाती है।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. आज दिनांकः 19.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)
जिला कलक्टर, अलवर